हेमन्त गुप्ता और मोहिंदर पाल जे.जे. **के समक्ष**

चंडीगढ़ प्रशासन,-याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और अन्य, - उत्तरदाता

सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 12768/सीएटी 2007

18 जुलाई 2008

भारत का संविधान, 1950-कला. 226–आवेदक के पिता की नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई–अनुकंपा आधार पर नियुक्ति–नियुक्ति के लिए आवेदक के नाम को मंजूरी देने वाली समिति–आवेदक द्वारा पूरा फॉर्म जमा करने से पहले दो अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया–पद की उपलब्धता के अभाव में आवेदक नियुक्ति नहीं मांग सकता–कोई भेदभाव नहीं–न्यायाधिकरण उचित नहीं यह निष्कर्ष देने के लिए कि रिक्ति की स्थिति के बावजूद आवेदक नियुक्ति पाने का हकदार है - ट्रिब्यूनल का कहा गया दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है - याचिका स्वीकार की गई।

निर्धारित, आवेदन में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं है कि संबंधित विभाग में अनुकंपा के आधार पर भरने के लिए उपलब्ध पदों की संख्या तीन से अधिक है। रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण आवेदक के नाम की अनुशंसा किये जाने के बावजूद उसे नियुक्ति नहीं मिल सकी। याचिकाकर्ता को पूरा आवेदन पत्र प्राप्त होने से पहले ही

क्रम संख्या 5 और 6 पर उम्मीदवारों को नियुक्त कर दिया गया था। यहां तक कि ट्रिब्यूनल ने भी आवेदक द्वारा लगाए गए भेदभाव के आरोप को खारिज कर दिया है। पद की उपलब्धता के अभाव में आवेदक कोई नियुक्ति नहीं मांग सकता। ट्रिब्यूनल का यह निष्कर्ष कि याचिकाकर्ता द्वारा 5% कोटा निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया है, अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है। डेटा केवल तभी प्रस्तुत करना आवश्यक था यदि संबंधित समय पर प्रशासन के पास उपलब्ध पदों की संख्या के संबंध में कोई विवाद हो। किसी भी आरोप के अभाव में, ट्रिब्यूनल को यह निष्कर्ष देना उचित नहीं था कि रिक्त पद के बावजूद, आवेदक याचिकाकर्ता द्वारा नियुक्ति पाने का हकदार है। ट्रिब्यूनल का उक्त दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

(पैरा 12)

याचिकाकर्ता के वकील विकास चतरथ।

के.एल. अरोड़ा, वकील, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए

***हेमन्त गुप्ता* गुप्ता, जे.**

1) वर्तमान रिट याचिका में चुनौती केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ (संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल') द्वारा पारित 19 मई, 2006 के आदेश को है, जिसमें हरि सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 (इसके बाद 'आवेदक' के रूप में जाना जाएगा)

2) आवेदक के पिता श्री जसपाल सिंह की मृत्यु 30 अगस्त, 1999 को हो गई। वह अपने पीछे पत्नी विद्या और पुत्र राम सिंह, अवतार सिंह छोड़

गए; आवेदक से अलग जय सिंह. आवेदक द्वारा दिसंबर, 1999 में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन को समाज कल्याण विभाग से समर्थन के बाद संबंधित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में जमा करने की टिप्पणी के साथ वापस करने का आदेश दिया गया था। निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन 17 फरवरी, 2000 को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसे अधीक्षण अभियंता ने इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया कि मृतक के अन्य बेटे काम कर रहे हैं, इसलिए यह उचित होना चाहिए कि आवेदक का दावा कैसे कवर किया जाए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति. अनुकंपा के आधार पर आवेदक की नौकरी के संबंध में आवेदक की मां और भाइयों द्वारा शपथ पत्र दायर किया गया था। उक्त दस्तावेज़ 5 अप्रैल, 2000 को दाखिल किये गये थे।

3) चंडीगढ़ प्रशासन ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए मामलों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 9 अक्टूबर, 1998 को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए बनाई गई नीति के संदर्भ में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए सामान्य समिति कहा जाता है। समिति ने व्हाइट वॉशर के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदक के नाम को मंजूरी दे दी, लेकिन आवेदक को कोई नियुक्ति नहीं दी गई, जिसके कारण ट्रिब्यूनल के समक्ष मूल आवेदन दाखिल करना पड़ा। आवेदक ने दावा किया कि प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को नियुक्ति देते समय कतार से बाहर जाने की अनुमति दी गई है, इसलिए, प्रतिवादी की कार्रवाई अनुचित और मनमानी है।

4) दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने आवेदक के रुख का खंडन किया और दावा किया कि यद्यपि आवेदक के पिता की मृत्यु प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के पिता की मृत्यु से पहले हुई थी, फिर भी प्रतिवादी संख्या 5 और 6

ने अपना पूरा विवरण प्रस्तुत किया है। आवेदक से पहले दस्तावेज। इसलिए, आवेदक के मामले से पहले उनके नामों की सिफारिश की गई थी। उक्त उत्तरदाताओं के मामलों की अनुशंसा अप्रैल और जुलाई, 2000 में की गई थी, जबकि आवेदक के मामले को 17 अप्रैल, 2002 को मंजूरी दी गई थी। यह भी बताया गया था कि चूंकि आवेदक की मृत्यु के बाद पिछले छह वर्षों से जीवित है इसलिए, उसके पिता को नौकरी की सख्त आवश्यकता नहीं है।

5) विद्वान न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि आवेदक द्वारा लिया गया भेदभाव का आधार टिकाऊ नहीं है, आवेदक द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दे दी। लेकिन यह पाया गया कि आवेदक के मामले को व्हाइट वॉशर के पद के लिए अनुशंसित किया गया है और याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहे हैं कि 5% कोटा के तहत कितनी रिक्तियां रखी गई थीं, और न ही रिक्ति की स्थिति दिखाई है ताकि न्यायालय को सक्षम बनाया जा सके। वर्तमान याचिकाकर्ता के रुख की जांच करने के लिए। यह भी पाया गया कि यद्यपि आवेदक का नाम क्रम संख्या 10 पर है, लेकिन लिखित बयान में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि क्रम संख्या 3 से 9 तक के व्यक्ति अभी भी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता का रुख अस्थिर पाया गया और परिणामस्वरूप, आवेदन की अनुमति दी गई।

6) इस न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी क्रमशः 23 अक्टूबर, 2000 और 22 दिसंबर, 2000 के दो परिपत्र प्रस्तुत किए हैं। 23 अक्टूबर 2000 के पहले परिपत्र में यह प्रसारित किया गया है कि भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि के संदर्भ में प्राथमिकता दी जाएगी। आश्रित मृतक

सरकारी कर्मचारी. उक्त परिपत्र के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:-

1. “मुझे इस प्रशासन के पत्र संख्या 29/2/94/आईएच (7)/98/25765, दिनांक 22 दिसंबर, 1998 का संदर्भ आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया है, जिसके माध्यम से इस विषय पर उद्धृत एक योजना प्रसारित की गई है और यह कहना है कि इस उद्देश्य के लिए गठित सामान्य समिति द्वारा अनुकंपा नियुक्तियों में प्राथमिकता देने का मामला पिछले कुछ समय से इस प्रशासन के विचाराधीन है। भारत सरकार के परामर्श से अब यह निर्णय लिया गया है कि मृतक आश्रित सरकारी कर्मचारी से अनुकंपा नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि के संदर्भ में प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी नियुक्तियों के लिए मांग भेजते समय उक्त सामान्य समिति को यह तथ्य सूचित किया जाना आवश्यक है।

2. आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त स्पष्टीकरण को सूचना और अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए और अनुकंपा नियुक्ति के लिए ऐसे आवेदनों की प्राप्ति की तारीख को सामान्य समिति को तत्काल सूचित किया जाए।

7) परिपत्र दिनांक 22 दिसंबर, 2000 द्वारा, कार्यकारी अभियंता या अधीक्षण अभियंता के कार्यालय, जैसा भी मामला हो, को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अनुरोध प्राप्त करने के उद्देश्य से मृत कर्मचारी के कार्यालय के रूप में नामित किया गया था। निर्धारित प्रोफार्मा पर पूरा फॉर्म भरें। उक्त परिपत्रों के आधार पर, यह बताया गया है कि 23 अक्टूबर, 2000 से संबंधित कार्यालय द्वारा पूर्ण आवेदन पत्र की प्राप्ति के आधार पर उम्मीदवारों की प्राथमिकता सूची बनाए रखी गई है। आवेदक

का पूरा आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि 5 मई, 2000 है, जबकि प्रतिवादी संख्या 5 और 6 का पूरा आवेदन पत्र क्रमशः 15 दिसंबर, 1999 और 29 दिसंबर, 1999 को प्राप्त हुआ था। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए सामान्य समिति ने ऐसे परिपत्र जारी होने के बाद सिफारिशें की हैं, और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक के मुकाबले प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को मनमाने ढंग से प्राथमिकता दी गई थी।

8) इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रशासन के परिपत्रों का खंडन नहीं किया गया है। पूर्ण आवेदन पत्र की तिथि के अनुसार प्राथमिकता सूची तैयार की गई है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए ऐसी प्राथमिकता सूची तैयार करना किसी भी तरह से मनमाना है या किसी भी तरह से अनुचित है।

9) प्रतिवादी के विद्वान वकील का यह तर्क कि प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए मृत्यु की तारीख प्रासंगिक होनी चाहिए, तर्कसंगत नहीं है। एक उम्मीदवार जो अपने पिता की मृत्यु के तीन साल से अधिक समय के बाद आवेदन करता है, वह उस उम्मीदवार की तुलना में प्राथमिकता सूची में उच्च रैंक पर नहीं होगा, जिसने अपने कमाने वाले की मृत्यु के तुरंत बाद पद के लिए आवेदन किया है। प्रशासन द्वारा अपनाया गया सिद्धांत यह प्रतीत होता है कि जिस व्यक्ति को नियुक्ति की आवश्यकता है, वह जल्द से जल्द आवेदन करेगा। अत: ऐसे आवेदन की प्राप्ति से ही प्राथमिकता निर्धारित की जानी चाहिए। फिर भी, यह इंगित नहीं किया जा सका कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को वापस करने में याचिकाकर्ता की कार्रवाई में कोई दुर्भावना थी ताकि आवेदक को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अवसर से वंचित किया जा सके।

10)15 जुलाई, 2004 को तैयार की गई वरिष्ठता सूची के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक का नाम क्रम संख्या 8 पर है। क्रम संख्या 3 और 6 के उम्मीदवारों ने 21 अगस्त, 1999 और 9 मार्च को अपने पिता को खो दिया है। 1999, वही तारीख जो आवेदक के पिता की मृत्यु की तारीख थी। क्रम संख्या 3, 4 और 6 पर उम्मीदवारों के आवेदन समय से पहले यानी 12 जनवरी, 2000 को प्राप्त हुए थे; 28 फरवरी, 2000 एवं 7 अप्रैल, 2000 जबकि आवेदक का आवेदन 5 मई 2000 को प्राप्त हुआ था। चूंकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए केवल तीन पद उपलब्ध थे, आवेदक, भले ही तिथि के अनुसार सूची तैयार की गई हो मृत्यु के बाद, क्रम संख्या 4 पर रैंक किया जाएगा। यह देखा जा सकता है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुलग्नक ए 4, 27 मार्च, 2003 को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए तैयार किए गए उम्मीदवारों की सूची है। याचिकाकर्ता ने पहले अपने जवाब में विद्वान न्यायाधिकरण ने दावा किया है कि उक्त अनुबंध कार्मिक और विधि अधिकारी द्वारा उनकी प्रशासनिक सुविधा के लिए तैयार किया गया है और अंतिम आधिकारिक दस्तावेज़ के लिए अभिप्रेत नहीं है। उक्त सूची में आवेदक का नाम क्रमांक 10 पर है।

11)याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने 5 फरवरी, 1999 से 30 अप्रैल, 2005 की अवधि के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए सामान्य समिति की बैठक के कार्यवृत्त की फाइल पेश की है। स्वर्गीय श्री नारायण के पुत्र सुब्रमण्यम के नाम की सिफारिश की गई थी 7 अप्रैल, 2000 को कॉमन कमेटी द्वारा नियुक्ति, जबकि मोती राम, प्रतिवादी नंबर 6 के नाम की सिफारिश 11 जुलाई, 2000 को कॉमन कमेटी द्वारा की गई थी। अपेक्षित प्रोफार्मा में आवेदक का आवेदन 5 मई, 2000 को प्राप्त हुआ था। यानी प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के बाद नियुक्ति की सिफारिश

की गई। आवेदक के नाम की अनुशंसा सामान्य समिति ने 17 सितंबर, 2002 को की थी। सामान्य समिति ने 10 सितंबर, 2004 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया कि अनुकंपा नियुक्ति के सभी मामले 10 सितंबर, 2004 की तिथि से तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। मृत सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु की सूची से हटाया जाए। प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

"भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 5 मई, 2003 के माध्यम से सूचित किया कि यदि पिछले एक वर्ष में नियमित रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण दिशानिर्देशों के अनुसार वास्तविक और योग्य मामलों में अनुकंपा नियुक्ति संभव नहीं है, तो समिति ऐसे मामलों की समीक्षा कर सकती है। इस निर्णय पर पहुंचने के लिए परिवार की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना कि क्या किसी विशेष मामले में अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार के लिए एक और वर्ष के विस्तार की आवश्यकता है, जो 5वें कोटा के भीतर स्पष्ट रिक्ति की उपलब्धता के अधीन है। यदि समिति द्वारा जांच पर विचार किया जाता है, तो एक मामले को योग्य माना जाता है, ऐसे व्यक्ति का नाम एक और वर्ष के लिए विचार के लिए जारी रखा जा सकता है। नियुक्ति की पेशकश के लिए किसी व्यक्ति का नाम अधिकतम तीन वर्ष तक विचाराधीन रखा जा सकता है, बशर्ते कि निर्धारित समिति ने पहले और दूसरे वर्ष के अंत में आवेदक की दयनीय स्थिति की समीक्षा की हो और उसे प्रमाणित किया हो। इस संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि 10 सितंबर, 2004 को मृत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित ऐसे सभी मामलों को भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार सूची से हटाया जा सकता है। विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा 5 मई, 2003 और 4 नवंबर, 2003 (प्रतिलिपि संलग्न) और हटाए गए नामों की

सूची सत्यापन के लिए क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय को भेजी जा सकती है। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे आश्रित जो मृत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से दो वर्ष से अधिक समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके मामलों की समीक्षा की जा सकती है और 6 अक्टूबर, 2004 को 3 बजे सामान्य समिति की बैठक बुलाई जा सकती है। आरएम. इस उद्देश्य के लिए सीएमडी, सिटको के कार्यालय में।

ऐसे निर्णय के अनुसरण में, आवेदक का नाम अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची से हटा दिया गया था।

12)उपरोक्त आवेदन में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं है कि संबंधित विभाग में अनुकंपा के आधार पर भरने के लिए उपलब्ध पदों की संख्या तीन से अधिक है। रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण आवेदक के नाम की अनुशंसा किये जाने के बावजूद उसे नियुक्ति नहीं मिल सकी। याचिकाकर्ता द्वारा पूरा आवेदन प्राप्त होने से पहले ही क्रम संख्या 5 और 6 पर उम्मीदवारों को नियुक्त कर दिया गया था। यहां तक कि ट्रिब्यूनल ने भी आवेदक द्वारा लगाए गए भेदभाव के आरोप को खारिज कर दिया है। पद की उपलब्धता के अभाव में आवेदक कोई नियुक्ति नहीं मांग सकता। ट्रिब्यूनल का यह निष्कर्ष कि याचिकाकर्ता द्वारा 5% कोटा निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया है, अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है। डेटा केवल तभी प्रस्तुत करना आवश्यक था यदि संबंधित समय पर प्रशासन के पास उपलब्ध पदों की संख्या के संबंध में कोई विवाद हो। किसी भी आरोप के अभाव में, ट्रिब्यूनल को यह निष्कर्ष देना उचित नहीं था कि रिक्त पद के बावजूद, आवेदक याचिकाकर्ता द्वारा नियुक्ति पाने का हकदार है। ट्रिब्यूनल का उक्त दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

13)परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है। विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, आवेदक द्वारा दायर मूल आवेदन खारिज किया जाता है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy